



SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.

Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India

Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/08/SFCF/113

Date:- 13-08-2025

- 1 - माननीय कुलपति जी, चौधरी चरण सिंह विवि०, मेरठ।
- 2 - माननीय कुलसचिव जी, चौधरी चरण सिंह विवि०, मेरठ।


विषय :- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 25052/2025 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन बनाम राज्य एवं अन्य 08 के क्रम में याचिका विचाराधीन होने के कारण गलत तरीके से किये जा रहे एम०एड०, बी०पी०एड०, एम०पी०एड० पाठ्यक्रमों के शिक्षको के भौतिक सत्यापन पर रोक लगाए जाने के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,


आप कृपया सादर अवगत हो की एम०एड०, बी०पी०एड०, एम०पी०एड० पाठ्यक्रमों के शिक्षको के भौतिक सत्यापन जो की विवि० के शिक्षा विभाग द्वारा केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के शिक्षको का किया जाता है के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या 25052/2025 योजित है और आगामी 09 सितम्बर 2025 सुनवाई की तिथि माननीय न्यायालय में निर्धारित है। इस क्रम में आप अवगत होंगे ही की जिस शासनादेश शासनादेश संख्या 5125 (1) 70-2-2005 दिनांक 21.10.2005 के आलोक में विवि० द्वारा इस प्रकार से केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के शिक्षको का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है उक्त शासनादेश में कही भी यह इंगित नहीं है की केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों के शिक्षको का भौतिक सत्यापन विवि० द्वारा किया जायेगा।


विवि० द्वारा शासनदेश में इंगित सत्यापन शब्द की गलत व्याख्या करते हुए उसको भौतिक सत्यापन में परिवर्तित किया गया है और अधिकारों के दुरुपयोग के कारण केवल सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में उक्त शासनादेश को प्रभावी किया जा रहा है। सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन दोनों का अर्थ पूर्णतया भिन्न है और आप अवगत होंगे ही की सत्यापन आपके द्वारा अपने अभिलेखों से किया जाता है जो की शिक्षको की चयन प्रक्रिया के समय ही पूर्ण कर लिया जाता है लेकिन शासनादेश की गलत व्याख्या करते हुए शिक्षको को भौतिक रूप से उपस्थित करते हुए उनके निजी आय व्यय आदि विवरणों को मांगकर उनकी गोपनीयता प्रभावित किया जाना उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन है।

“फेडरेशन” तत्क्रम में आपसे अनुरोध करती है की कृपया एम०एड०, बी०पी०एड०, एम०पी०एड० पाठ्यक्रमों के शिक्षको के भौतिक सत्यापन पर रोक लगाए जाने का कष्ट करे।
आदर सहित।


(नितिन यादव)

अध्यक्ष


प्रो० (डॉ०) निधि शुक्ला
वरिष्ठ उपाध्यक्ष


प्रो० (डॉ०) आनन्द सिंह
वरिष्ठ महासचिव



Website : www.sfcf.in | Email : sfcf2023@gmail.com | Mob. 8954-89-1289, 9997-70-8995



Scanned with OKEN Scanner